



RIMS/Admn./ No..... /date.....

### कार्यालय आदेश

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा संख्या WP(S) No. 2979 / 2016 तथा I.A. No. 7492 / 2016 डॉ० हेमंत नारायण राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.11.2016 तथा इसी क्रम में अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची से प्राप्त कानूनी सलाह के आलोक में संस्थान के विज्ञापन संख्या 11035 दिनांक 09.09.2016 के अनुसार दिनांक 19.11.2016 को 10.30 बजे पूर्वाह्न कार्डियोलॉजी विभाग के प्राध्यापक के पद पर होने वाले साक्षात्कार को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है।

ह०/—

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक...12898.../रा०आ०सं०, राँची, दिनांक...18/11/2016...

प्रतिलिपि:— विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार —सह— अध्यक्ष, चयन समिति (शैक्षणिक संवर्ग), रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि०शि०एवं प०क० विभाग झारखण्ड सरकार —सह— उपाध्यक्ष, चयन समिति (शैक्षणिक संवर्ग), रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— चयन समिति के अन्य सदस्यों (शैक्षणिक संवर्ग), रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— श्री अजीत कुमार, अपर महाधिवक्ता, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वा०चि०शि०एवं प०क० विभाग झारखण्ड सरकार —सह— अध्यक्ष, शासी परिषद, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे माननीय के संज्ञान में लाने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:— नोटिस बोर्ड/वेबसाइट, रिम्स, राँची में अवलोकन हेतु प्रेषित।

  
निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।